भारत सरकार
कार्यालय
आयकर आयुक्त
16, गु..ल टावर, उदयपुर

GOVERNMENT OF INDIA
Office of The
Commissioner of Income Tax
Udaipur

क्रमांक: आ.आ./उदय/न्यायिक/2007–2008/५१८ दिनांक : 15.06.2007

आदेश :–

विषयः– आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी के अधीन छूट।
–– 00 ––

दानदाताओं द्वारा वागड़ सेवा संस्थान ट्रस्ट, बांसवाड़ा को दिये गये दान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी के अधीन उक्त धारा में विहित सीमाओं तथा शर्तों के साथ आयकर से छुट के योग्य होंगे ।

यह छूट 01.04.2007 से 31.03.2010 तक को समाप्त अवधि/कर निर्धारण वर्ष 20010–11 तक निम्नाकिंत शर्तों के साथ मान्य होगी :–

1. दानदाताओं को दी जाने वाली रसीद पर इस आदेश की संख्या एवं दिनांक अंकित किये जावें और यह स्पष्ट रूप से लिखा जावें कि यह प्रमाण पत्र किस दिनांक/अवधि तक मान्य है ।
2. आय एवं व्यय के लेखा विवरण एवं चिटठा प्रादेशिक क्षेत्राधिकार वाले आयकर अधिकारी को जिसके क्षेत्राधिकार में प्रकरण आता हो सालाना प्रस्तुत किये जावें ।
3. यदि संस्था के संविधान/गठन में कोई संशोधन किया जावे तो इसकी जानकारी इस कार्यालय को तत्काल दी जावे ।
4. संस्था को दिए गए दान के लिए दानदाता आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के प्रावधानों/शर्तों/सीमाओं के अनुसार छूट प्राप्त करने के हकदार होगें ।

ह०
(एम० एस० मीना)
आयकर आयुक्त
उदयपुर

नोट :–

इस प्रमाण पत्र के आधार पर संस्था को अपने कर निर्धारण के समय छूट प्राप्त करने का कोई अधिकार नही होगा । निर्धारण अधिकारी यह जांच–पडताल करें कि निर्धारिती (संस्था) आयकर अधिनियम की धारा 2(15) के प्रावधानों के अनुसार धर्मार्थ (चेरिटेबल) है या नहीं और धारा 11, 12, 12ए(ए) धारा 13 में उल्लेखित शर्ते पूरी करता है या नही ।

प्रतिलिपि :–

1. अध्यक्ष/न्यासी वागड़ सेवा संस्थान ट्रस्ट, बांसवाड़ा
2. आयकर अधिकारी, वार्ड–बांसवाडा को प्रेषित कर निर्देश दिए जाते है कि संस्था/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विवरणों की स्वयं जांच–पडताल करें कि धारा 80 जी तथा प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निर्देशों एवं सम्बन्ध में लागू होने वाली शर्तो को निरन्तर पूरा करता है ।
3. अपर आयकर आयुक्त, रेंज–चितौडगढ

क्रमांक 252
24/6/07

(कुम्मुमोन अब्राहम)
आयकर अधिकारी (तक.)